

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 35 सन 2020

अनवान :-

1. सुरजाराम पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- /16/03/2021/

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 295/270 की कुल 4.1490हैक् भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल का निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर अंकित है तो गलत है सायल अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर अंकित है।

सायल ने अपने निवास स्थान के समर्थन में मतदाता सूची, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर दर्ज है।

सायल का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये सायल अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 295/270 की कुल 4.1490हैक् भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।



सायल का निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर अंकित है तो गलत है सायल अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर अंकित है ।

सायल ने अपने निवास स्थान के समर्थन में मतदाता सूची , जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर दर्ज है।

सायल का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये सायल अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 295/270 की कुल 4.1490हैक् भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

सायल का कथन है सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है।

सायल ने अपने कथनों के समर्थन में परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर अर्थात सायल के प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सायल का निवास स्थान चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर होना प्रतीत होता है। प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के अधार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 295/270 की कुल 4.1490हैक् भूमि में सायल का निवास स्थान चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर अंकित है के स्थान पर चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक/6/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/

दिनांक :-

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 35/2020 अनवानी सुरजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. सुरजाराम पुत्र रणजीत जाति मेधवाल निवासी चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 35/2020 अनवानी सुरजाराम बनाम सरकार में दिनांक 16/3/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 295/270 की कुल 4.1490 हैक्ठु भूमि में सायल का निवास स्थान चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर अंकित है के स्थान पर चक 8 एनडब्ल्यूडी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये हैं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)